राजस्थान सरकार
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
निदेशालय एनएचएम, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर

क्रमांक एफ.20 (503-VI)एनआरएचएम/एचआरडी/2017/732 दिनांक : 9/5/17

–: आदेश :–

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के प्रबन्धकीय संवर्ग के राज्य, जिला एवं ब्लॉक स्तर के संविदा पदों को भरने हेतु जारी एनएचएम विज्ञप्ति क्रमांक 407 दिनांक 13.04.2016 के क्रम में जिला स्तर के **संविदा सोशल वर्कर–आरबीएसके (डीईआईसी सेन्टर के लिये स्वीकृत)** के पद की प्रतीक्षा सूची में उपलब्ध अभ्यर्थियों को उनके नाम के सम्मुख प्रतिमाह समेकित मानदेय दर पर संबंधित जिलो में नियुक्त किया जाकर निम्नानुसार एतद् द्वारा संविदा आधार पर पदस्थापित किया जाता है।

क्र.सं	नाम	पिता/पति का नाम	मासिक मानदेय	पदस्थापन स्थान
1	श्री सौरभ कटारा	श्री शिवदत्त शर्मा	रू 15000/–	अजमेर
2	श्री हेमन्त कुमार	श्री नागर मल	रू 15000/–	भीलवाडा
3	श्री मुख्तार अहमद	श्री मोहम्मद अहमद	रू 15000/–	कोटा
4	नीतिशा वर्मा	श्री उदय सिंह वर्मा	रू 15000/–	चुरु
5	श्री भागु राम करवा	श्री बोधु राम करवा	रू 15000/–	उदयपुर
6	श्री सतीश मीणा	श्री रमेश चन्द्र मीणा	रू 15000/–	चित्तौडगढ

समस्त नव नियुक्त संविदा कार्मिको को निर्देशित किया जाता है कि वें आदेश जारी दिनांक से दिनांक 17.05.2017 तक आवश्यक रूप से अपने आवंटित पदस्थापन स्थान से सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के समक्ष समस्त आवश्यक मूल दस्तावेजों सहित अपनी उपस्थिति देते हुये संबंधित पद पर कार्यग्रहण किया जाना सुनिश्चित करें।

समस्त नव नियुक्त संविदा कार्मिक अपने आवंटित पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण कर, इसकी रिपोर्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के माध्यम से दिनांक 19.05.2017 को सायं 5.00 बजे तक आवश्यक रूप से ई–मेल आई.डी. **co_hrd.nrhm@yahoo.com** पर भिजवाना सुनिश्चित करावें।

यदि कोई कार्मिक तय समय सीमा में निर्धारित स्थान पर ज्वाईन नहीं करता है तो आगे नियुक्ति के संबंध में उसका कोई अधिकार नहीं होगा एवं उसकी नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जाकर संबंधित पद को रिक्त पद मानते हुये आगामी कार्यवाही की जायेगी। इस सम्बन्ध मे अंतिम निर्णय का अधिकार मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को होगा।

समस्त नव नियुक्त संविदा कार्मिको को निर्देशित किया जाता है कि कार्यग्रहण के समय चिकित्सा प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र एवं रू 100/– के नॉन ज्युडिशियल स्टॉम्प पेपर के साथ उपस्थिति प्रदान कर कार्यग्रहण किया जाना सुनिश्चित करे। आदेश के साथ निर्धारित अनुबंध का प्रारूप, चिकित्सा प्रमाण पत्र का प्रारूप एवं चरित्र प्रमाण पत्र का प्रारूप संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाया जा रहा है।

उक्त संविदा कार्मिको को प्रथमतः तीन माह के लिये (प्रोबेशन अवधि) लिया जावेगा। तीन माह पश्चात संविदा कार्मिक की सेवाओं के मूल्यांकन के आधार पर उनकी सेवा अवधि को भारत सरकार से प्राप्त अनुमति अनुसार प्रथमतः सम्बन्धित वित्तीय वर्ष मे 31 मार्च (वित्तीय वर्ष अवधि) तक के लिये बढ़ाया जायेगा।

अनुबंधित संविदा कार्मिको को उक्तानुसार समेकित मानदेय के अतिरिक्त अन्य कोई परिलाभ देय नहीं होगें। इस संबंध में आगामी कार्यवाही भारत सरकार द्वारा परियोजना के अन्तर्गत जारी विशिष्ठ प्रावधानों के अध्याधीन होगी।

इस सम्बन्ध में संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त नव नियुक्त संविदा कार्मिको के मूल दस्तावेजो की जॉच कर नियमानुसार कार्यग्रहण करवाये जाकर अनुबंध के निष्पादन की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें। **उक्त कार्मिक आरबीएसके कार्यक्रम के तहत कार्य करेगें।**

(नवीन जैन)
शासन सचिव
चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग एवं
मिशन निदेशक, एनएचएम

क्रमांक एफ.20 (503-VI) एनआरएचएम/एचआरडी/2017/732 दिनांक : 9/5/17

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, चि0 स्वा0 विभाग एवं मिशन निदेशक, एनएचएम।
4. निजी सहायक, संयुक्त शासन सचिव, एनएचएम, जयपुर।
5. निजी सहायक, परियोजना निदेशक, एनएचएम, जयपुर।
6. निदेशक–आरसीएच, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जयपुर।
7. निदेशक (वित्त), एनएचएम, जयपुर।
8. राज्य कार्यक्रम प्रबंधक, एनएचएम, जयपुर।
9. परियोजना निदेशक, एमएच/सीएच/इम्यूनाईजेशन/एफडब्ल्यू./आरबीएसके एनएचएम, जयपुर।
10. अनुभाग अधिकारी, एचआर, एनएचएम, जयपुर।
11. समस्त राज्य नोडल अधिकारी/समस्त सलाहकार, एनएचएम, जयपुर।
12. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, समस्त जोन, राजस्थान।
13. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, समस्त संबंधित जिले।
14. जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी, समस्त संबंधित जिले।
15. जिला कार्यक्रम प्रबंधक/जिला लेखा प्रबंधक, एनआरएचएम, समस्त संबंधित जिले।
16. प्रभारी सर्वर रूम को वर्णित आदेश को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड करने एवं समस्त संबंधितो को ई–मेंल करने हेतु।
17. रक्षित पत्रावली।

परियोजना निदेशक
एनएचएम